न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अरररिया

वाद संख्या-28/2020
अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3
सरकार
बनाम
मो0 रईश अहमद, पे0-स्व0 तजमुल, सा0-करासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया(बैरगाछी), जिला-अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
05.10.2020	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 332/डी0सी0बी0, दिनांक 28.09.2020) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,अररिया के प्रस्ताव (पत्रांक 2741/उपा0, दिनांक 28.09.2020) के आधार पर मो0 रईश अहमद, पिता-स्व0 तजमुल, सा0-करासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया(बैरगाछी), जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई। पुलिस अधीक्षक,अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 332/डी0सी0बी0, दिनांक 28.09.2020) एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि मो0 रईश अहमद, पिता-स्व0 तजमुल, सा0-करासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया(बैरगाछी), जिला-अररिया एक असामाजिक तत्व है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इसने अपने कार्यों से थानाक्षेत्र में लोक शांति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। ऐसी सूचना मिल रही है कि आगामी विधान सभा चुनाव-2020 के अवसर पर ये आम मतदाता को एक पक्ष विशेष को मतदान करने हेतु दबाव बनाकर डरा धमका रहे है, जिसके कारण लोगों में दशहत है। मो0 रईश अहमद एक आदतन अपराधी है और कभी भी लोक व्यवस्था एवं शान्तिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को बाधित कर सकते है। मो0 रईश अहमद का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :- 1. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-279/16, दिनांक 18.05.16, धारा-147/148/149/ 342/323/324/307/332/333/337/338/353/427 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम। 2. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-327/16, दिनांक 05.06.16, दिनांक 147/ 149/ 341/ 323/324/354/385/504/506 भा0द0वि0। 3. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-437/16, दिनांक 07.07.16, दिनांक 147/149/341/ 323/324/354बी/379/385/504/506 भा0द0वि0। 4. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-409/16, दिनांक 12.07.16, दिनांक 147/149/341/ 323/379/504/506 भा0द0वि0। 5. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड सं0-426/09, दिनांक 18.09.2009, धारा-341/323/354/ 379/504/506/34 भा0द0वि0। अररिया जिला में बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी मो0 रईश अहमद, पिता-स्व0 तजमुल, सा0-करासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया(बैरगाछी), जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3 अंतर्गत कार्रवाई करने की	

अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है।

उक्त के आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.2020 द्वारा आरोपी/अपराधकर्मी मो0 रईश अहमद को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी-मो0 रईश अहमद की ओर से हाजिरी एवं कारण-पृच्छा दी गई। न्यायालय में उपस्थित विपक्षी मो0 रईश अहमद को सुना।

विपक्षी का मुख्य कथन है कि विपक्षी सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाला उत्कृष्ट बौधिक विचार वाला व्यक्ति है। विपक्षी सदा से सामाजिक बुराईयों, खामियों के खिलाफ आवाज उठते रहने वाला व्यक्ति है। कानून को मानने वाला तथा उसके मुताबिक चलने वाला व्यक्ति है। सामाज में छोटी बड़ी समस्या मिल बैठ कर सामाजिक स्तर पर सुलझाना विपक्षी का दिनचर्या है। यही नहीं विपक्षी विशेष कर जिला प्रशासन के सब से विश्वसनीय योगदान करने वाला व्यक्ति है। विपक्षी की पत्नी जुबैदा खातुन वर्ष, 2011 के पंचायत चुनाव में अररिया बस्ती पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ी, जिसमें दूसरे प्रत्याशी इफत आरा निर्वाचित हुई थी। तत्पश्चात वर्ष, 2016 के पंचायत चुनाव में उक्त वाद के विपक्षी एवं इफत आरा के पति शाद अहमद आमने-सामने हुए। मतदान पश्चात दोनों उम्मीदवार के समर्थकों के बीच बैरगाछी चौक स्थित सब्जी हटिया में तू-तू मैं-मैं हो गई और इसी तू-तू मैं-मैं को लेकर अररिया (बैरगाछी) थाना कांड सं0-279/2016 दोनों उम्मीदवार एवं उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज की गई जिसमें वास्तव में दोनों उम्मीदवार विपक्षी एवं शाद अहमद उर्फ बबलू एवं गणमान्य व्यक्ति के सहयोग से ही मामला शान्त हुआ परन्तु फिर भी न जाने किस प्रकार विपक्षी का नाम अभियुक्तों के कॉलम में सम्मिलित कर दिया गया। उक्त तू-तू मैं-मैं के कारण ही अररिया (बैरगाछी) थाना कान्ड सं0-280/2016, 283/2016 एवं 284/2016 दोनों उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों के द्वारा दर्ज कर दी गई जिसका मुख्य कारण दोनों के बीच चुनाव के मनमोटाव को लेकर था। उपरोक्त सभी वाद में विपक्षी जमानत पर है तथा वाद अंतिम प्रपत्र हेतु माननीय न्यायालय में लंबित है। अररिया बैरगाछी थाना कांड सं0-437/2016 में विपक्षी को नामजद करने का प्रश्न है उक्त वाद स्थानीय पी0डी0एस0 डीलर के द्वारा लाभुकों को समुचित रूप से अंत्योदय योजना एवं अन्नपूर्ण योजना के तहत सामग्री का वितरण नहीं कर रहे थे। इसी बात को लेकर लाभुकों की शिकायत पर डीलर को डांट-डपट किये, जिसको लेकर उक्त डीलर मंजूर आलम द्वारा उक्त वाद विपक्षी पर दायर कर दिया गया, जिसमें विपक्षी की कोई गलती अथवा दोष नहीं है। अररिया(बैरगाछी) थाना कांड सं0-327/2018 एवं 409/2016 की कोई जानकारी अथवा सूचना विपक्षी को नहीं है। अररिया थाना कांड सं0-426/2009 में विपक्षी जमानत पर हैं। उक्त मुकदमा में सूचक द्वारा लगाये गये सारे आरोप असत्य व मिथ्या पर आधारित है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी के खिलाफ संबंधित थाना में सन्हा सं0-290/2020 एवं सन्हा सं0-642/2020 किस परिप्रेक्ष्य में दर्ज की गई है, इसकी कोई अनुभूति विपक्षी को नहीं है। विपक्षी पूर्णतः एक सामाजिक व्यक्ति हैं। विपक्षी वर्तमान में अररिया बस्ती पंचायत से मुखिया पद के लिए निर्वाचित हैं तथा अपने दायित्वों का कुशलपूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। विपक्षी के वर्ष, 2016 से अबतक के कार्यालय में किसी तरह की कोई शिकायत आमजन में नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से किसी भी व्यक्ति या संस्थान को कोई खतरा नहीं हो सकता और न ही भविष्य में इसकी कोई संभावना है। विपक्षी का वादा है कि भविष्य में उनके द्वारा आगामी बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 में कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया जायेगा। उनकी प्रार्थना है कि उनपर प्रारंभ

की गई इस कार्यवाही को बंद किया जाय।

विपक्षी के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशांत कुमार सी0एच0, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(i) के अन्तर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान-1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंड़नीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निरुद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि **मो0 रईश अहमद दिनांक-06.10.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 07.11.2020 के पूर्वाह्न तक सप्ताह में दो दिन (मंगलवार तथा शनिवार) अररिया थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे** तथा **थानाध्यक्ष, अररिया** के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा।

उक्त आदेश का संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2087 /विधि, दिनांक 7.10.2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अररिया(बैरगाछी) एवं थानाध्यक्ष, अररिया को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2087 /विधि, दिनांक 7.10.2020

प्रतिलिपि : श्री मो0 रईश अहमद, पे0-स्व0 तजमुल, सा0-करासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया(बैरगाछी), जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।